

L. A. BILL No. LIII OF 2023.

A BILL

**TO AMEND THE MAHARASHTRA INTERNATIONAL SPORTS
UNIVERSITY ACT, 2020.**

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५३ सन् २०२३।

**महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२० में
अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

सन् २०२० **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२० का में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम महा. ३५। अधिनियमित किया जाता है :—

**१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ संक्षिप्त नाम।
कहलाए।**

सन् २०२० का
महा. ३५ की धारा
१२ में संशोधन।

सन् २०२०
का
महा. ३५।

२. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२० की धारा १२ की,—
(१) उप-धारा (३) के,

(क) खण्ड (क) में,

(एक) “ समिति ” शब्द के स्थान में, “ खोजबीन-नि-चयन समिति ” शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड, प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(दो) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :-

“ (एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का एक विख्यात व्यक्ति होगा और या तो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई विख्यात विद्वान् होगा या शिक्षा के क्षेत्र में पदम् पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; ” ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“ (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक सदस्य. ” ;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :-

“ (ग) समिति पर नामनिर्देशित होनेवाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रित्या में संबंधित नहीं है या उस विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है. ” ;

(ग) खण्ड (घ) में “ तीन ” शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(घ) खण्ड (च) में,—

(एक) “ के साथ व्यक्ति ” शब्दों के पश्चात्, “ न्यूनतम दस वर्षों ” शब्द जोड़े जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (चार) में “ शैक्षिक अर्हताएँ ” शब्दों के स्थान में, “ अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ ” शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (४) में,—

(क) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्,—

“ परंतु, यदि कुलाधिपति द्वारा चयनित व्यक्ति, कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, कुलाधिपति, एक पैनल से शेष व्यक्तियों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ति का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए पैनल को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात् नए पैनल को बुला सकेगा ; ” ;

(ख) विद्यमान परंतुक में, “ परंतु यह कि ” शब्दों के स्थान में, “ परंतु आगे यह कि ” शब्द रखे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२० (सन् २०२० का महा. ३५) की धारा १२ कुलपति की नियुक्ति करने के लिए कुलाधिपति को उचित नामों की सिफारिश करने हेतु पात्रता मानदण्ड और समिति के गठन के लिए उपबंध करती है।

२. कुलपति की नियुक्ति करने के लिए कुलाधिपति को उचित नामों की सिफारिश करने हेतु पात्रता मानदण्ड और समिति के गठन के उपबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तत्पश्चात् उपांतरित किए गए हैं देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (सन् १९५६ का ३) के अधीन विरचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ और उच्चतम शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए अन्य उपाय) विनियम, २०१८ विरचित किया गया था।

३. उच्चतम न्यायालय ने, गंभीरदान के गढ़वी बनाम गुजरात सरकार और अन्य (सन् २०१९ की रिट याचिका (सिविल) क्रमांक १५२५ और प्राध्यापक (डॉ.) श्रीजीत पी. एस बनाम राजश्री एम. एस. और अन्य (सन् २०२२ की सिविल अपील क्रमांक ७६३४-७६३५) के मामलों में, हाल ही में यह ठहराया गया है कि, कुलपति के पात्रता मानदण्ड और नियुक्ति के लिये प्रक्रिया हमेशा सुसंगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार होंगी और राज्य अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का एक हिस्सा है तो उसे संशोधित किया जाना चाहिए और जब तक वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम लागू रहेंगे तब तक वह अभिभावी होंगे।

४. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त धारा १२ में यथा अंतर्विष्ट कुलपति की नियुक्ति करने से संबंधित विद्यमान उपबंध उक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार, संशोधित करना आवश्यक है। इसलिए, सरकार, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२० की धारा १२ का यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपूर,
दिनांकित १४ दिसंबर, २०२३।

संजय बनसोडे,
क्रीड़ा तथा युवा कल्याण मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १४ दिसंबर, २०२३।

जितेंद्र भोले,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।